न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 34/2017 **दायरा दिनांक : 28.02.2017**

उनवान

1— बाबूलाल

2— चन्दा

3— कमला

4— मन्नी

5— सरदारी

6— प्यारी

पिसरान परसराम अकवाम लोधा निवासीगण चन्दापुरा कस्बा

7— भूलीबाई बेवा परसराम जाति लोधा निवासी चांदपुरा

8— मथूरालाल

9— कंचनबाई (मृतक) जर्ये L.R.

9/1— अमरलाल पुत्र रोडू, लोधा निवासी रोडरी जगन्नाथ

10— कस्तूरी बाई

11— चन्दीबाई (मृतक) जर्ये L.R.

11/1— रामस्वरूप लोधा

11/2— जगन्नाथ पिसरान रामरतन निवासी झंझनी

12— गौराबाई

पिसरान भैरिया अकवाम लोधा निवासी चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज.

.... अपीलांट

बनाम

1— ग्यारसी बाई पत्नी नारायण पुत्री हीरा जाति लोधा

2— जानकी लाल पुत्र नारायण जाति लोधा निवासीगण पिपलहेडा तहसील छीपाबडोद जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री मो. तनवीर आलम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.12.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या — 190/2016 निर्णय दिनांक 19.01.2017 व डिक्री दिनांक 25.01.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है कि रेस्पोडेंट ग्यारसी बाई पुत्री हीरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र लोक अदालत केम्प गम्बोलिया में इस बाबत् पेश किया कि मेरे पिता हीरा पुत्र लाला जाति लोधा निवासी चांदपुर के नाम की भूमि सेटलमेंट द्वारा भेरिया पुत्र लाला जाति लोधा के नाम दर्ज कर दी, जबकि हीरा पुत्र लाल की एक मात्र वारिस मैं हूं। अतः मुझे मेरे पिता का हिस्सा दिलवाया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या — 190/2016 निर्णय दिनांक 19.01.2017 व डिक्री दिनांक 25.01.2017 को बिना साक्ष्य व तनकीयात कायम किये निर्णय किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दावे के रूप से मानकर कार्यवाही की है जो विधिपूर्ण नहीं है। उपरोक्त आराजी में से अपीलांट का कुछ हिस्सा पूर्व में ही बेचान कर दिया गया था। दावे किन धाराओं में दर्ज किया गया यह भी प्रमाणित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का फैसला दिनांक 25—01—17 वैधानिक रूप से गलत है, अपास्त होने योग्य किया जावे व अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को अपील के तथ्यों को दोहराया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया की अर्जी दिनांक 29–02–16 के आधार पर विधिक सहायता के अन्तर्गत प्रार्थिया को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की गई, जो कानूनन प्रावधानों 1999 & 22 (4) एवं (5) के अन्तर्गत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया की दयनीय स्थिति को देखते हुए रिकार्ड इत्यादि तलब कर सम्पूर्ण रिकार्ड का पूर्ण रूप से विवेचन करते हुए समस्त कार्यवाही रिकार्ड से प्रमाणित करते हुए निर्णय दिनांक 25–01–17 जारी किया। फैसले के तथ्यों व दस्तावेजों से प्रार्थिया का उपरोक्त विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा है जिसके वह खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय उचित है। रिकार्ड इत्यादि से दावे को प्रमाणित किया गया है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.2017 व डिक्री दिनांक 25.01.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा